फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

टाटा कैपीटल हाउसिंग फाईनेन्स लि॰ बनाम हिम्मत सिंह व अन्य

प्रकरण संख्या : 266/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
09.06.2022	प्रार्थी वित्तीय संस्था ने सरफेशी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्थान के पक्ष में बन्धक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने बावत प्रार्थना पत्र पेश किया है। वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया ग्रया । वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक सम्पत्ति का क्षेत्रफल धारा 13 (2) के नोटिस में 266.66 वर्गगज अंकित है। जबकि प्रस्तुत टाईटल गिफ्ट डीड में क्षेत्रफल 89.16 वर्गगज ही अंकित है। इस प्रकार 13(2) के नोटिस व टाईटल गिफ्ट डीड में क्षेत्रफल में भिन्नता है। अतः धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट–2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय संस्था बाद दुरस्ती नये सिरे से प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो। (राजन विशाल) जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	